UPBU160001002020

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा बुलन्दशहर।

पीठासीन अधिकारी– प्रियंवदा चौधरी (J.O Code– U.P. 3303)

दाण्डिक वाद संख्या 78/2020

सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

बनाम

घमण्डी पुत्र तेजा निवासी ग्राम अरनिया मौजपुर, थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर।

..... अभियुक्त।

मु०अ०सं०– 290/2019
अर्न्तगत धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं०।
थाना- खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

1. दाण्डिक वाद संख्या 78/2020 में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 290/2019, धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्त घमण्डी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर उक्त दाण्डिक वाद का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2019 को समय करीब 17:00 बजे स्थान अग्रवाल तिराहा अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर में अभियुक्त ने वाहन होन्डा अमेज गाड़ी नं० HR 51BJ 2032 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की मोटरसाईकिल नं० UP 37A 8679 में टक्कर मार दी जिससे वादी, उसकी पत्नी व पुत्री को गंभीर चोटें आयी और इलाज के दौरान उसकी पत्नी चंचल की मृत्यु हो गयी।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर पर मु०अ०सं० 290/2019, अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक ने अपराध की नियमानुसार विवेचना की एवं बाद विवेचना अभियुक्त घमण्डी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसके द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। उसे अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां दी गयी। तदोपरान्त दिनांक 15.04.2022 को अभियुक्त का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० विरचित किया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण किये जाने की याचना की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से वाद कथानक के समर्थन में प्राथमिकी साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्लू०–1 मोहित वादी मुकदमा, पी०डब्लू० 2 अर्जुन सिंह व पी०डब्लू० 3 मुकेश को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी।

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. हेतु नियत की गयी।

6. तदोपरान्त दिनांक 30.07.2026 को अभियुक्त के धारा 313 द०प्र०सं० के अर्न्तगत कथन अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने से इंकार कर मुकदमा झूठा चलाये जाने का कथन किया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 मोहित** वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 21.05.2019 को मैं अपनी पत्नी चंचल व पुत्री आस्था को लेकर अपनी मोटरसाईकिल सं० UP37A8679 से सहार ससुराल से घर पर जा रहा था। जैसे ही मैं अगवाल तिराहे पर पहुंचा तो शाम 5 बजे वाहन सं० HR51BJ2032 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मैं घायल हो गया। मेरी पत्नी चंचल की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। उक्त आशय की तहरीर किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर थाने में दी, जिस पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया।"

8. बचाव पक्ष द्वारा गवाह पी०डब्लू० 1 से प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "दिनांक 21.05.2019 को शाम 5 बजे जब मैं, मेरी पत्नी चंचल व पुत्री आस्था सहार से धरपा जा रहे थे, जैसे ही अगवाल तिराहा के पास पहुंचे हाजिर अदालत अभियुक्त घमण्डी वाहन सं० HR51BJ2032 के चालक ने मेरी मोटरसाईकिल में टक्कर नहीं मारी। मैं आज पहली बार हाजिर अदालत अभियुक्त घमण्डी को देख रहा हूं। "

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी०डब्लू०–2 अर्जुन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "मोहित ने मुझसे दिनांक 21.05.2019 को एक तहरीर लिखवायी थी। जिसमें उसने मुझे बताया कि मैं अपनी पत्नी चंचल व पुत्री आस्था के साथ अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम धरपा आ रहे थे, तो अगवाल तिराहे के पास सामने से आ रही गाड़ी ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गये। चंचल की इसमें मृत्यु हो गयी। मैं घटना स्थल पर नहीं था। जो मोहित ने बताया वही लिखा। तहरीर मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला हुआ है।"

10. बचाव पक्ष द्वारा गवाह पी०डब्लू० 2 से प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "मैंने घटना नहीं देखी थी। हाजिर अदालत घमण्डी को मैं पहली बार देख रहा हूं, आज से पहले कभी नहीं देखा है।"

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी०डब्लू०–3 मुकेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 21.05.2019 की शाम 5 बजे मैंने मुल्जिम घमण्डी को तेजी व लापरवाही से अपनी होण्डा अमेज गाड़ी को चलाते हुए तथा गाड़ी से मोहित की मोटरसाईकिल से टक्कर मारते हुए नहीं देखा था। मोहित व उसकी पत्नी को चोटें कैसे लगी मुझे नहीं पता। सूचना मिलने के बाद मैं कैलाश अस्पताल पहुंचा था। चंचल के शव का पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। पत्रावली पर शामिल पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर पुष्ट करता हूं। जिस पर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी।"

12. बचाव पक्ष द्वारा गवाह पी०डब्लू० 3 से प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि "दुर्घटना मेरे सामने नहीं हुई थी। मैं बाद में सूचना मिलने के बाद पहुंचा था। दुर्घटना किस गाड़ी से हुई, उस गाड़ी को कौन चला रहा था, ये मैंने नहीं देखा। मैंने मुल्जिम घमण्डी को आज तक नहीं देखा।"

13. मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

14. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है। जिसके आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>समीक्षा एवं निष्कर्ष</u>

15. अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्त पर दिनांक 21.05.2019, समय करीब 17:00 बजे स्थान अग्रवाल तिराहा थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में वाहन होन्डा अमेज गाड़ी नं० HR 51BJ 2032 को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की मोटरसाईकिल नं० UP 37A 8679 में टक्कर मारने तथा टक्कर के बाद उसकी पत्नी व पुत्री को गंभीर चोटें आयीं और इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने का आरोप है।

16. उक्त तथ्यों का साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जिन्हें साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्राथमिकी साक्षीगण मोहित पी०डब्लू० 1, अर्जुन सिंह पी०डब्लू० 2 व मुकेश को पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा वाद समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० को अपने साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है?

17. पी०डब्लू० 1 मोहित वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन कर घटना अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में आत्म विरोधाभाषी कथन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि घटना की दिनांक 21.05.2019 को शाम 5 बजे वह पत्नी चंचल व पुत्री आस्था को लेकर ग्राम सहार से धरपा जा रहा था तो अगवाल तिराहा के पास अभियुक्त घमण्डी ने वाहन सं० HR51BJ2032 से उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर नहीं मारी थी। उक्त गवाह द्वारा दौरान परीक्षण हाजिर अदालत अभियुक्त घमण्डी को पहली बार देखा जाना बताया है। इस प्रकार ना केवल उक्त साक्षी के मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के बयानों में विरोधाभाष है, बल्कि घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान को भी उसके द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका है।

18. पी०डब्लू० 2 अर्जुन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि वादी मोहित ने उससे दिनांक 21.05.2019 को एक तहरीर प्रदर्श क–1 लिखवायी थी, जो कि उसने वादी मोहित के कहने पर लिखी थी। वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। दौरान प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने स्पष्ट किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी तथा अभियुक्त घमण्डी को उसने पहली बार देखा है। इसके अतिरिक्त वाद समर्थन में प्रस्तुत पी०डब्लू० 3 मुकेश द्वारा भी दौरान मुख्य परीक्षण उसके द्वारा घटना अपनी आखों से देखे जाने से इन्कार किया गया है तथा वादी व उसकी पत्नी को चोटें लगने की कोई जानकारी नहीं होना बताया है। विदित है उक्त साक्षीगण द्वारा घटना घटित होते हुए नहीं देखी गयी है, बल्कि उसे घटना के बारे में वादी मुकदमा ने बताया था। इस प्रकार यह साक्षीगण अनुश्रुत साक्षी हैं जिनके द्वारा घटना के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया गया है।

19. विदित है अभियोजन कथानक के समर्थन में प्रस्तुत पी०डब्लू० 1 के मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के बयान विरोधाभाषी हैं। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एक अनुश्रुत साक्ष्य की प्रकृति का है, जो कि पत्रावली पर अग्राह्य साक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि सभी गवाहों से विधिवत जिरह की गयी है, जिसके दौरान गवाहों ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि होती हो। इसके

अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त को विरचित आरोपों के अर्न्तगत दोषसिद्ध किया जा सके।

20. विदित है अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यद्यपि अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है, परन्तु अभियोजन प्रपत्रों को स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त पर दोषसिद्ध तब तक न्यायोचित नहीं होता है जब तक अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न हों। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध मौखिक एवं तात्विक साक्ष्य घटना के विपरीत होने के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रलेखीय साक्ष्य अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करते हैं।

21. आपराधिक न्यायशास्त्र का प्रमुख सिद्धान्त है कि दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

22. अतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है जिससे संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप अभियुक्त घमण्डी धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं० के अन्तर्गत विरचित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त घमण्डी को दाण्डिक वाद सं० 78/2020, मुकदमा अपराध सं० 290/2019 अन्तर्गत **धारा 279, 337, 338, 304A भा०दं०सं०** के प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437 (ए)1 द०प्र०सं० के अनुपालन में आज से छः माह की अवधि के लिये अंकन 20,000/– रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि का एक प्रतिभू एक सप्ताह में इस आशय की दाखिल करें कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होगा।

दिनांक 05.08.2026

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code– U.P. 3303

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 05.08.2026

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code– U.P. 3303

आशुलिपिक– अखिलेश आर्य

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

Digitally signed by PRIYAMVADA CHOWDHARY
Date: 2026.08.06 29:55:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court